न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 41/2018

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 प्रभुदयाल गुर्जर पुत्र लादुराम।
2 ताराचन्द पुत्र रामेश्वर समस्त जाति गुर्जर निवासीगण मावता ढ़ाणी पड़ाव हाला की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भारसिंह पुत्र बदनसिंह (फौत)।
1/1 अमरसिंह पुत्र भारसिंह।
1/2 उम्मेद सिंह पुत्र भारसिंह।
1/3 भानसिंह पुत्र भारसिंह।
1/4 रतन कंवर पुत्री भारसिंह।
1/5 सोनकंवर पुत्री भारसिंह।
1/6 गोर्धनसिंह पुत्र भारसिंह ।
2 गोर्धनसिंह पुत्र बदन सिंह।
3 सुमेरसिंह पुत्र गणपतसिंह।
4 श्रवण सिंह पुत्र गणपत सिंह।
5 सुन्दर सिंह पुत्र गणपत सिंह।
6 शेरसिंह पुत्र गणपत सिंह।
7 रणवीर सिंह पुत्र रोहिताश सिंह।
8 उम्मेद कंवर पत्नी सांवत सिंह।
9 उम्मेद सिंह पुत्र सांवत सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 सुमेर सिंह पुत्र सांवत सिंह।
11 सम्पत सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
12 आनन्द सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
13 रूपसिंह पुत्र हनुमान सिंह।
14 इन्द्रा कंवर पत्नी भानसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15 बोदुराम पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
16 महादेवा पुत्र लाला जाति दरोगा निवासी मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
17 सुवा देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति सैनी निवासी मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
18 होशियार सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
19 विनोद सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
20 नरेश सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
21 विजेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
22 चोथुराम पुत्र धोकलराम ।
23 गिरधारी पुत्र कालुराम ।
24 सुखाराम पुत्र कालुराम।
25 पूर्णराम पुत्र कालुराम।
26 मुलाराम पुत्र कालुराम।
27 प्रभुराम पुत्र कालुराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
28 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी

29 प्रहलाद राम पुत्र खेताराम जाति गुर्जर निवासी मावता की ढ़ाणी पड़ाव हाला की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 27.03.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी प्रभुदयाल बनाम भारसिंह मुकदमा नम्बर 225/2012 अ.धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. 1955

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री जुगल किशोर सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24-1-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 225/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 29 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1115/530 व 540 राजस्व ग्राम मावटा में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 511,526,531 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 506 व 526,528,529 की पूर्वी सीमा से होता हुआ 6 फिट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु चालु होना एवं इस रास्ते की चौड़ाई 6 फिट की बजाय 12 फिट करने का निवेदन प्रार्थीगण ने किया। विचारण न्यायालय ने मौके पर कम दूरी का व सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता होने का कथन कर आवेदन खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 540 आवेदक का खेत है प्रस्तुत नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. होता हुआ रास्ता आवेदक के खेत में आता है इन समस्त खसरो के दोनों तरफ तीन तीन फिट रास्ता है जिसे 6 से बढ़ाकर 12 फिट चौड़ा करने का निवेदन किया है मौका रिपोर्ट 27.05.2016 से आवेदक के कथनों की पुष्टि होती है इसी मुताबिक रास्ता दिया जाना चाहिए विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन अपने निर्णय में किया है किन्तु उसके खसरा नम्बर इत्यादि अंकित नही किये है। अपील स्वीकार कर आवेदन में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट आई है पीठासीन अधिकारी स्वंय ने मौका देखा है मौके पर रास्ता चालु है धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार निकटतम दुरी का रास्ता ही दिया जायेगा। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद केवल इस बिन्दु को लेकर है कि मौके पर प्रचलित रास्ते को धारा 251ए के अन्तर्गत चौड़ा करवाया जा सकता है अथवा निकटतम दूरी का नया रास्ता ही देय होगा।

Lavio

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
[illegible]

इस सन्दर्भ में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों का अवलोकन किया इसमे उल्लेखित है कि " आवेदक को अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिये या ऐसे ट्रेक पर जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये भूमि में से होकर ओर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न जो बनाने के लिये या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिये उस अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने का चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुइ समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में"रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1115/530 व 540 में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते मौके पर कम दूरी व सुविधाजनक उपलब्ध है विचारण न्यायालय ने उन वैकल्पिक रास्तों का कोई विवरण निर्णय में अंकित नही किया है। नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.03.2015 के बिन्दु संख्या 01 पर स्पष्ट अंकन है कि उक्त कलेम शुद्वा रास्ता ग्राम मावता के खसरा नम्बर 540,1115/530 में आवेदकगणों को अपने खेत में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 505,506, 507,512,526,527,528,529,531 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसी प्रकरण में आई.एल.आर.

उपखण्ड अधिकारी एवं

द्वारा दिनांक 27.05.2016 को मौका रिपोर्ट तैयार कर चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सीधा रास्ता नही होना अंकित है।

अपीलांट ने चालु रास्ते को चौड़ा करने हेतु विचारण न्यायालय के आवेदन प्रस्तुत किया था मौके पर पगडण्डी के रूप में रास्ता चालु होने की पुष्टि भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2016 व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2015 से होती है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251ए के प्रावधान लागु होते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के उपर विवेचित प्रावधानों में स्पष्ट अंकित है कि विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के लिये आवेदन धारा 251ए के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है इस हेतु लघुतम या निकटतम का बिन्दु विचारणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व पाया जाता है अत अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय में आई.एल.आर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2016 एवं उस पर अंकित नजरी नक्शे के अनुसार आवेदन में ग्राम मावता के खसरा नम्बर 540, 1115/530 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 505,506,507,512,526,527,528,529 एवं 531 में से 12 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश दिये जाते है। इस मौका रिपोर्ट के मुताबिक एवं अंकित नजरी नक्शे के अनुसार रास्ते की दूरी की डी. एल.सी. रेट का निर्धारण विचारण न्यायालय सक्षम स्तर से प्राप्त कर राशि जमा करवाने का आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.1.19

(करतार सिंह पुनिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर